प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड

पत्रांक/अका.अनु./ 4050-53 /शै.म.रा.शै.पु./2022–23 दिनांक 20 मई 2022

विषयः शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार–2022 के चयन सम्बन्धी निर्देशों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनदेश संख्या–457/XXIV-4/2021–10(14)2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 दिनांक 08 जुलाई, 2021 तथा शासनदेश संख्या–723/XXIV-4/21/10(14)2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 दिनांक 13 जुलाई, 2021 में प्रदत निर्देशानुसार राज्य के उत्कृष्ट शिक्षकों को दिये जाने वाले शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार वर्ष 2022 हेतु नवीन मानक निर्धारण के अनुसार चयन की कार्यवाही सम्पन्न किये जाने के लिए निर्धारित कार्यक्रम निम्नवत् प्रेषित किया जा रहा है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	समय/दिनांक
1	राज्य स्तर पर पुरस्कार हेतु निर्देश	20 मई, 2022
2	शिक्षकों द्वारा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि	10 जुलाई,2022
3	जनपद स्तर पर आवेदन जमा करने की तिथि	20 जुलाई,2022
4	जनपद स्तरीय समिति की बैठक	25 जुलाई,2022
5	जनपद स्तर पर जांच एवं निरीक्षण कार्य	10 अगस्त,2022 तक
6	मण्डल स्तर पर आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	16 अगस्त,2022
7	मण्डल स्तर स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कार्य	5 सितम्बर, 2022 तक
8	मण्डल द्वारा राज्य स्तर पर आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	10 सितम्बर,2022
9	राज्य स्तर पर प्रस्तुतीकरण/ परीक्षण कार्य	20 सितम्बर,2022
10	निदेशालय द्वारा प्रस्तावों का शासन को प्रेषण	25 सितम्बर,2022

वर्ष 2022 हेतु शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजनान्तर्गत आवेदन पत्र के नवीन प्रारूप को इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि आवेदन पत्र एवं निर्धारित समय सारणी को खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से समस्त विद्यालयों तक प्रचारित–प्रसारित करना सुनिश्चित करें। खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों को जनपद एवं मण्डल स्तर पर प्रख्यापित शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार भली भॉति परीक्षणोंपरान्त शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित करना सुनिश्चित करें। मण्डलीय समिति द्वारा प्रस्तावों पर विचार करने से पूर्व सभी प्रस्तावों के सापेक्ष पुरस्कार हेतु आवेदन करने

वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत उपलब्धियों के आधार पर मानकों के परीक्षण हेतु संस्था में जाकर भौतिक सत्यापन कराकर एस0एम0सी0, अभिभावक संघ, शिक्षक, छात्र, बी0आर0सी0, सी0आर0सी0, खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर नवीन निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुये, कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। बिना स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में अग्रसारित न किया जाय। शासनदेश संख्या–457 / XXIV-4 / 2021–10(14)2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 दिनांक 08 जुलाई, 2021 तथा शासनदेश संख्या–723 / XXIV-4 / 21 / 10(14)2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 दिनांक 13 जुलाई,2021एवं नवीन निर्धारित मानको की प्रति संलग्न है। उर्पयुक्त के साथ ही–

1. प्रकरणों को उर्पयुक्त प्रख्यापित शासनादेशों के अनुरूप ही प्रेषित करें।
2. जनपदों द्वारा प्रकरण निर्धारित प्रारूप पर ही प्रस्तुत करें।
3. अनर्ह प्रकरणों को कदापि न भेजें।
4. आवेदन पत्र के साथ प्रमाणित प्रमाण पत्रों को ही संलग्न करें अनावश्क पत्रजात न जोड़े।
5. भौतिक सत्यापन हेतु स्थलीय निरीक्षण आवश्यक रूप से करें तथा मण्डलीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन आख्या अनिवार्य रूप से भेजी जाय।
6. विगत वर्षो में संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों से एकल प्रकरण प्राप्त हुए है, जो कि, उक्त पुरस्कार के उचित प्रचार प्रसार न होना प्रदर्शित करता है। तथा इन प्रकरणों में प्रतिस्पर्धा का अभाव प्रतीत होता है।
7. समिति द्वारा प्रकरणों की भली भॉति जांच कर यह प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा प्रकरणों की भली भॉति जॉच कर ली गई है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

25.05.2022

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 / अका0अनु. / 4050-53 / शै.म.रा.शै.पु. / 2022–23 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. प्रभारी अधिकारी एम0आई0एस0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

25.5.22

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

शिक्षकों के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कारः–प्रकिया एवं मानक

शिक्षकों हेतु राज्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए कार्यक्रम

	कार्य का नाम	समय / दिनांक
1.	राज्य स्तर पर पुरस्कार हेतु निर्देश	15 मई
2.	शिक्षकों द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि (विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की तिथि)	10 जुलाई
3.	जनपद स्तर पर आवेदन जमा करने की तिथि	20 जुलाई
4.	जनपद स्तरीय समिति की बैठक	25 जुलाई
5.	जनपद स्तर पर जॉच एवं निरीक्षण कार्य	10 अगस्त तक
6.	मण्डल स्तर पर आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	16 अगस्त
7.	मण्डल स्तर से स्थलीय निरीक्षण / भौतिक सत्यापन कार्य	05 सितम्बर तक
8.	मण्डल द्वारा राज्य स्तर पर आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	10 सितम्बर
9.	राज्य स्तर पर प्रस्तुतीकरण / परीक्षण कार्य	20 सितम्बर
10.	निदेशालय द्वारा प्रस्तावों का शासन को प्रेषण	25 सितम्बर
11.	राज्य पुरस्कारों की घोषणा	25 अक्टूबर
12.	पुरस्कार वितरण	09 नवम्बर

प्रस्तावना–

शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। शिक्षण अधिगम प्रकिया,विद्यालयों में संसाधन विकास,छात्रहित में किये जाने वाले अभिनव कियाकलापों,सामुदायिक सहभागिता में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने, समग्र रूप में कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक की भूमिका निर्वहन करने तथा समाज के मध्य आदर्श शिक्षक का कार्य करने वाले शिक्षकों ,प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय नयी शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षकों को समाज में सम्मानपूर्ण गरिमामयी स्थान प्रदान करने में यह पुरस्कार अत्यन्त प्रभावी होंगे।
अद्यतन पुरस्कारों की संख्या निम्नवत् है।

- माध्यमिक स्तर के संस्थाध्यक्ष/शिक्षक–13 पुरस्कार।
- प्रारम्भिक स्तर के प्रधानाध्यापक/शिक्षक–13 पुरस्कार।
- संस्कृत विद्यालयों के संस्थाध्यक्ष/शिक्षक–02 पुरस्कार।
- शिक्षक प्रशिक्षक–01 पुरस्कार।

शिक्षकों को पुरस्कार–

1. शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने, छात्रों की शैक्षिक गुणवत्ता में अभिबृद्धि,सामुदायिक सहभागिता,शैक्षिक नवाचारों को विद्यालयों में लागू करने तथा समाज में आदर्श शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार के द्वारा शैलेश मटियानी राज्य उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किये जाते है। प्रतिवर्ष शिक्षकों से शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र आमंन्त्रित किये जाते हैं। वर्तमान समय में आवश्यकता के अनुरूप पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु कुछ पूर्व निर्धारित मानकों में परिवर्तन किया जा रहा है। नवीन मानकों को सम्मिलित करते हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नवत् किये जा रहे है।
2. शिक्षको को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। यह प्रारूप विद्यालयी शिक्षा निदेशालय की वेवसाइट पर उपलब्ध होगा । बिना निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने पर विकास खण्ड स्तर से ही आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा।
3. प्रत्येक शिक्षक आवेदन पत्र में दी गई प्रत्येक गतिविधि के सापेक्ष अपनी उपलब्धि प्रस्तुत करेंगे। किसी क्षेत्र मे उपलब्धि न होने पर X चिन्ह लगायेंगें। शिक्षकों की उपलब्धि का सत्यापन प्रधानाचार्य करेंगे व प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी संस्थाध्यक्षों की दशा में गतिविधियों का सत्यापन खण्ड शिक्षा अधिकारी करेंगे।
4. माध्यमिक शिक्षकों के आवेदन करने की स्थिति में संबंधित शिक्षक के द्वारा अपने द्वारा किये गये कार्यो का विवरण एवं अभिलेखीय साक्ष्य सहित प्रस्तुत किया जायेगा। जिसे संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के द्वारा विधिवत जॉच के उपरान्त समस्त अभिलेखों का

सत्यापित कर खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार संबंधित विद्यालय में जाकर साक्ष्यों को पुनः परीक्षण कर अंको की अंकना कर प्रस्ताव मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

5. विकास खण्ड स्तर से माध्यमिक एवं प्रारम्भिक स्तर के मात्र उन्हीं शिक्षकों के प्रकरण भेजे जांय जिनमें विकास खण्ड स्तरीय समिति के द्वारा अंक प्रदान किये जाने से पूर्व शिक्षकों को कम से कम 60 अंक प्राप्त हुए हों।
6. प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षकों के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई प्रत्येक गतिविधि के सापेक्ष अपनी उपलब्धि प्रस्तुत करेंगे। किसी क्षेत्र में उपलब्धि न होने पर X चिन्ह लगायें। शिक्षकों की उपलब्धि का सत्यापन प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाध्यापक के समस्त उपलब्धियों/अभिलेखों का सत्यापन उप शिक्षा अधिकारी करेगे, शिक्षक द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अग्रसारित करवाने के उपरान्त ही आवेदन पत्र उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे। तथा विकास खण्ड में प्राप्त सभी आवेदनो की विधिवत जॉच करने के उपरान्त साक्ष्यों के आधार पर सही अंकना करने के उपरान्त अंको की गणना कर प्रकरण मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएगे।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी ब्लाक स्तर से प्राप्त संस्तुति के उपरान्त प्रकरण की जॉच व मूल्यॉकन/आकलन करने के उपरान्त जनपद स्तर पर प्राप्त प्रकरणों को जनपदीय समिति की संस्तुति के उपरान्त प्रकरण मण्डलीय समिति को प्रस्तुत करेंगे।
8. मण्डल स्तर पर सभी प्रकरणों की व्यापक जॉच की जानी है। मण्डलीय समिति एक पुनरावलोकन समिति (Review Committee) भी है। वे सभी प्रकरणों की जॉच अपने स्तर से कराते हुए साक्ष्यो के आधार पर अंक प्रदान करेगे। आवश्यकता पडने पर प्रकरणों का पुनरावलोकन भी करेंगे।
9. मण्डलीय समिति प्रत्येक आवेदन पर निर्धारित अंक प्रदान करेगी तथा निर्धारित प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने के उपरान्त शासनादेश संख्या–457/XXIV–4/2021–10(14)10 दिनांक 08 जुलाई 2021 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–723/XXIV–4/21/10(14)2010 दिनांक 13 जुलाई 2021 के अनुसार निर्धारित संख्या में प्रकरण राज्य समिति को सन्दर्भित करेंगे।

शैलेश मटियानी पुरस्कार हेतु प्रथम् जॉच अधिकारी–

- *माध्यमिक शिक्षकों के प्रस्ताव पर प्रथम् जॉच प्रधानाचार्य संबंधित विद्यालय।*
- *प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक/प्रधानाध्यापक के प्रस्ताव प्रथम् जॉच संबंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी ।*
- *माध्यमिक स्तरीय प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के प्रस्ताव पर प्रथम् जॉच संबंधित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी ।*

माध्यमिक शिक्षकों / प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्यों हेतु शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिये आवेदन पत्र

शिक्षक / प्रधानाचार्य का नाम–

विद्यालय का नाम–

जनपद–

पद–

सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि–

जन्मतिथि–

विकास खण्ड–

मण्डल का नाम–

पोर्टल आईडी0–

सेवानिवृत्त की तिथि–

कुल सेवा अवधि–

1. क- विगत तीन वर्षो में परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफलः–

अधिकतम अंक–39

वर्ष	विषय का नाम	पंजीकृत छात्र	सम्मिलित छात्र	उत्तीर्ण छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	उत्तीर्ण प्रतिश / 100X5	60 प्रतिशत से 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र / परीक्षा मे सम्मिलित छात्र संख्या X 6	75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र / परीक्षा में सम्मिलित छात्र संख्या X 8	प्रत्येक वर्ष मे अधिकतम अंक–13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1									
2									
3									

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के सम्बन्ध में अंको की गणना निर्देश पत्र के बिन्दु एक के अुनसार की जायेगी।

ख– व्यायाम शिक्षकों के आवेदन करने की स्थिति मेंः–

विगत तीन वर्षो का मूल्यांकन–खेल तथा तद्सम्बन्धी गितिविधियों में छात्रों की प्रतिभागिता– अधिकतम अंक–39

वर्ष		जनपद स्तर–05			राज्य स्तर–09			राष्ट्रीय स्तर–11			अर्न्तराष्ट्रीय स्तर–13			
	खेल का नाम	विद्यालय की कुल छात्र संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	अर्जित अंक	खेल का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	अर्जित अंक	खेल का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	अर्जित अंक	खेल का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	अर्जित अंक	प्रत्येक वर्ष में अधिकतम – 13 अंक
1														
2														
3														

नोट– अध्यापक द्वारा विभिन्न खेल गतिविधियों मे उच्चतम् स्तर पर प्रतिभागिता की ही अंकना / गणना की जायेगी। तथा अंको की गणना दिशानिदेशों के बिन्दु एक के अनुसार की जायेगी।

2. पत्र पत्रिकाओं में विगत तीन वर्षो म्रें प्रकाशित लेख – अधिकतम अंक–03

क.स.	लेख का नाम	पत्रिका का नाम	ISBN/ISSN
1			
2			
3			

3. विगत तीन वर्षो में छात्र संख्या में बृद्धि का विवरणः– अधिकतम अंक–03 (प्रति वर्ष के लिए एक अंक)

विवरण	तीन वर्ष पूर्व की छात्र संख्या वर्ष.....	वर्ष ------	वर्ष ------	वर्ष ------
छात्र संख्या				

4. समुदाय की सहभागिता से विगत तीन वर्षो में विद्यालय के उन्नयन हेतु किये गये कार्यः–

क- भौतिक संसाधन कुल 04अंक

क.स.	भौतिक संसाधन का विवरण का विवरण जो समुदाय द्वारा शिक्षक के प्रयास से विद्यालय में किये गये हो।	
1	कक्षा–कक्ष/शौचालय आदि निर्माण	
2	भवन मरम्मत/चाहरदीवारी निर्माण	

ख- शैक्षणिक संसाधन कुल अंक– 04

शैक्षणिक संसाधनों का विवरण जिनकी आपूर्ति विद्यालयों में शिक्षक के समुदाय के द्वारा शिक्षक के प्रयास से हुई है।	
कम्प्यूटर/एल.सी.डी. प्रोजेक्टर/लाइब्रेरी (न्यूनतम 50 पुस्तकें से अधिक)	
खेल सामग्री/पाठयसामग्री उपकरण/सांस्कृतिक उपकरण एवं साज–सज्जा सामग्री,	

5. शिक्षक द्वारा शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में किये गये नवीन प्रयोग कुल 05 अंक

क.स.	नवाचार/नवीन प्रयोग का विवरण	लाभान्वित छात्र संख्या	शिक्षण अधिगम पर प्रभाव
1	प्रतिभा दिवस/विभिन्न राष्ट्रीय दिवस का प्रभावी आयोजन		
2	छात्रों के Doubt, विषयगत समस्या समाधान		
3	कक्षा की तैयारी हेतु पूर्व संबोधों का प्रभावी शिक्षण(मिशन कोशिश)		
4	विद्यालय में अपने विषय से संबंधी नवाचारी शिक्षण हेतु कृत क्रियाकलाप		

5	सुधारात्मक शिक्षण	

6. शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रकिया में **ICT** का उपयोग– अधिकतम अंक–06

क.स.	गतिविधि	लाभान्वित छात्र संख्या
1.	Development and use of PPT/ e-content material	
2.	You Tube Channel पर विषय सामग्री की उपलब्धता	
3.	Online Teaching through Apps	
4.	DIKSHA पर सामग्री अपलोड	
5.	PM Vidhya /SwyamPrabha/GYan Deep आदि चैनल का शिक्षण हेतु उपयोग	
6.	Use of E Pathshala Material	

7. विगत 03 वर्षो में छात्र–छात्राओं की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं/छात्रवृति परीक्षाओं में उपलब्धि:– अधिकतम अंक–06 (एक वर्ष हेतु 02 अंक)

वर्ष	प्रतियोगिता का नाम	छात्र–छात्रा का नाम	जनपद स्तर	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर

नोट–उच्चतम स्तर के अंक देय होंगे।

8. विगत 03 वर्षो की विद्यालय में उपस्थिति:– अधिकतम 03 अंक (उपस्थिति 90% से अधिक होने पर ही प्रतिवर्ष 01 अंक दिया जायेगा)

वर्ष	I	II	III
वर्ष मे कुल कार्यदिवस			
वर्ष में विद्यालय में वास्तविक उपस्थिति (विभागीय प्रशिक्षण, पुस्तक लेखन, प्रशिक्षक तथा निर्वाचन कार्यो के रुप में किये गये कार्य को कार्यदिवस उपस्थिति में जोडा जाय।)			
उपस्थिति प्रतिशत			

9. पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में विगत तीन वर्षो में जनपद/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिताः–

अधिकतम अंक –09

क्र.स.	क्रियाकलापों का विवरण	जनपद स्तरीय प्रतियोगिता (अधिकतम 01 अंक)	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता (अधिकतम 02 अंक)	राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता (अधिकतम 03 अंक)
1	सांस्कृतिक/साहित्यिक इत्यादि			
2	स्काउट गाइड्स/रेडक्रास/ NSS/ NCC			
3.	विज्ञान महोत्सव/विज्ञान प्रदर्शनी इत्यादि			

नोट–उच्चतम् स्तर के अंक देय होगें।

10. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तक लेखन/प्रशिक्षण सामग्री विकास में विगत 03 वर्षो में सहभागिताः–

अधिकतम–03 अंक

क.स.	कार्यशाला का नाम	संस्थान का नाम	वर्ष (अवधि सहित)	पुस्तक/माड्यूल का नाम
1				
2				
3				

11. जनपदीय समिति द्वारा मूल्यांकनः– (अधिकतम 05 अंक)

जनपद समिति मूल्यांकन के अंक निर्धारण हेतु आख्या —— प्राप्त अंक–

12. मण्डलीय समिति द्वारा मूल्यांकनः– (अधिकतम 05 अंक)

मण्डलीय समिति मूल्यांकन के अंक निर्धारण हेतु आख्या —— प्राप्त अंक–

13. राज्य स्तरीय समिति द्वारा शिक्षक के प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकनः–अधिकतम 05 अंक।

आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण एवं सत्यापन के उपरान्त विभिन्न समितियों के सत्यापान के उपरान्त प्रदत्त अंक

क.स.	अंकना शीर्षक का नाम	खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण/गतिविधि के सापेक्ष प्राप्त अंको का सत्यापन	जनपदीय समिति द्वारा प्रस्तुत गतिविधि/परीक्षण के सापेक्ष अंको का सत्यापन	मण्डलीय समिति की संस्तुति
1	विगत तीन वर्षो में परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफलः–			
2	पत्र पत्रिकाओं में विगत तीन वर्षो में प्रकाशित लेख			
3	विगत तीन वर्षो में छात्र संख्या में बृद्धि का विवरणः			
4	समुदाय की सहभागिता से विगत तीन वर्षो में विद्यालय के उन्नयन हेतु किये गये कार्यः– संसाधन विकास-I) **भौतिक संसाधन** संसाधन विकास-**II) शैक्षणिक संसाधन**			
5	शिक्षक द्वारा शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में किये गये नवीन प्रयोग			
6	शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT का उपयोग–			
7	विगत 03 वर्षो में छात्र–छात्राओं की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं/छात्रवृति परीक्षाओं में उपलब्धिः–			
8	विगत 03 वर्षो की विद्यालय में उपस्थितिः–			
9	पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में विगत तीन वर्षो में जनपद/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता			
10	राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तक लेखन/प्रशिक्षण सामग्री विकास में विगत 03 वर्षो में सहभागिता			
11	**जनपद समिति मूल्यांकन के अंक**			
12	**मण्डलीय समिति मूल्यांकन के अंक**			
13	**राज्य स्तरीय समिति द्वारा शिक्षक के प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकन**			

संकलित अंकना– राज्य स्तरीय समिति द्वारा अकित की जाय।

विन्दु संख्या	शीर्षक	कुल अंक	मण्डलीय समिति के अनुसार संस्तुत अंक
क.स.1	विगत तीन वर्षो में परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफलः–	39	
क.स.2	पत्र पत्रिकाओं में विगत तीन वर्षो में प्रकाशित लेख	03	
क.स.3	विगत तीन वर्षो में छात्र संख्या में बृद्धि का विवरणः	03	
क.स.4	समुदाय की सहभागिता से विगत तीन वर्षो में विद्यालय के उन्नयन हेतु किये गये कार्यः–		
क.स.4 क	संसाधन विकास-I) **भौतिक संसाधन**	04	
क.स.4ख	संसाधन विकास-**II) शैक्षणिक संसाधन**	04	
क.स.5	शिक्षक द्वारा शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में किये गये नवीन प्रयोग	05	
क.स.6	शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रकिया में ICT का उपयोग–	06	
क.स.7	विगत 03 वर्षो में छात्र–छात्राओं की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं/छात्रवृति परीक्षाओं में उपलब्धिः–	06	
क.स.8	विगत 03 वर्षो की विद्यालय में उपस्थितिः–	03	
क.स.9	पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में विगत तीन वर्षो में जनपद/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता	09	
क.स.10	राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तक लेखन/प्रशिक्षण सामग्री विकास में विगत 03 वर्षो में सहभागिता	03	
	योग	85	
क.स.11	जनपद समिति मूल्यांकन के अंक	05	
क.स.12	मण्डलीय समिति मूल्यांकन के अंक	05	
	योग	95	
क.स.13	राज्य स्तरीय समिति द्वारा शिक्षक के प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकन	05	
कुल अंक		100	

राज्यस्तरीय समिति के सदस्यो का नाम व हस्ताक्षर

1. 2. 3. 4.

प्रारूप पर अंक प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश

क.स.–1. विगत तीन वर्षो में परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफलः–

माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यो/प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों के लिए उनके विद्यालय/विषय का परीक्षाफल अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकिया में आकलन हेतु परिषदीय परीक्षाफल को आधार बनाया जाना वर्तमान समय की आवश्यकता है। अतः शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु शिक्षकों के परीक्षाफल को 39 अंकों का अधिभार प्रदान किया जा रहा है। सामान्यतः विद्यालय,शिक्षक के स्वयं की अथवा अन्य प्रशासनिक व प्रबंधकीय व्यवस्था के कारण एक वर्ष में किसी शिक्षक या प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का परीक्षाफल कम या अधिक हो सकता है। अतः परीक्षाफल में वस्तुनिष्ठता प्रदान के दृष्टिगत तीन वर्ष के परीक्षाफल को आधार बनाया गया है। यदि किसी अध्यापक के द्वारा हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट दोनो कक्षाओं या अन्य कक्षाओं में शिक्षण कार्य किया जा रहा हो तो स्वयं के विषय की परीक्षाफल का ही अंकना करेंगें प्रधानाचार्य के सन्दर्भ मे परिषदीय परीक्षा में अध्यापित विषय को आधार बनाया जायेगा,परन्तु यदि परिषदीय परीक्षा विषय का अध्यापन नहीं कर रहे हो तो हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के सम्पूर्ण परीक्षाफल का औसत को आधार माना जायेगा। हाईस्कूल प्रधानाध्यापक के सन्दर्भ में हाईस्कूल के 3 वर्ष के परिषदीय परीक्षा के परीक्षाफल अथवा परिषदीय परीक्षा में अध्यापित विषय के परीक्षाफल की अंकना की जायेगी। अध्यापकों का परीक्षाफल प्रधानाचार्य द्वारा एवं प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का परीक्षाफल खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

व्यायाम अध्यापकों द्वारा खेल की विभिन्न गतिविधियों में जनपद, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर छात्र–छात्राओं की प्रतिभागिता एवं चयन को प्रदर्शित करते हुए अंकों की अंकना की जायेगी। जिसे प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित किया जायेगा। **अंक का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –**

		जनपद स्तर पर अंक	राज्य स्तर पर अंक
1	प्रतिभागिता	01	03
2	05 प्रतिशत छात्रों की प्रतिभागिता अथवा जनपद स्तर पर तृतीय स्थान पर	02	04
3	किन्हीं दो खेलों में तृतीय स्थान अथवा किसी एक खेल में द्वितीय स्थान पर	03	05
4	किन्हीं दो खेलों में द्वितीय स्थान या किसी एक खेल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	04	07
5	किन्हीं दो खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	05	09

		राष्ट्रीय स्तर पर अंक	अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अंक
1	प्रतिभागिता पर	–	11
2	तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	09	13
3	द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	10	"
4	प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	11	"

परन्तु प्रतियोगिता में उच्चतम स्तर के अंक ही देय होगे।

2. पत्र पत्रिकाओं में विगत तीन वर्षो में प्रकाशित लेख – अधिकतम अंक–03

पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करना शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य है। अधिकांशतः शिक्षकों के द्वारा कक्षा–कक्ष प्रकिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के शोध,कियात्मक शोध किये जाते रहते है। कुछ शिक्षकों के द्वारा अपने विषय से संबंधित लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित किये जाते है। शिक्षकों का यह कार्य अत्यन्त सराहनीय है और इसे प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक पुरस्कार हेतु तीन अंक प्रदान किये जा रहे है। किन्तु यह अंक तभी प्रदान किये जायेगे यदि आवेदक का लेख **ISSN, ISBN** पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ हो।

3. विगत तीन वर्षो में छात्र संख्या में बृद्धि– अधिकतम अंक–03 (प्रति वर्ष एक अंक)

विद्यालयों में छात्रों की पर्याप्त संख्या होनी अत्यन्त आवश्यक है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों में प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या घट रही है। छात्रों के यह घटती संख्या अत्यन्त चिन्ता का कारण है। कक्षा–कक्ष प्रकिया में विभिन्न प्रकार के अभिनव प्रयासों से शिक्षक छात्र संख्या में समुचित बृद्धि कर सकते है। यदि किसी शिक्षक द्वारा पढाए गये विषय में शिक्षक के प्रयस से छात्रों की संख्या में कोई बृद्धि होती है तो साक्ष्य के आधार पर उन्हे प्रतिवर्ष छात्र संख्या में बृद्धि होने पर उन्हे एक अंक प्रदान किया जाएगा।

4.समुदाय की सहभागिता से विगत तीन वर्षो में विद्यालय के उन्नयन हेतु किये गये कार्यः– अंक

विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता का प्रमुख स्थान है। सामुदायिक सहभागिता के द्वारा शिक्षक विद्यालयों के संसाधन विकास,शैक्षिक संप्राप्ति बृद्धि तथा विद्यालयों के नियोजन तथा प्रबंधन में उल्लेखनीय कियाकलाप कर सकते है। आवेदक शिक्षक के प्रयास से सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत भौतिक तथा शैक्षिणिक संसाधनों के विकास हेतु निम्नवत् कार्य किये जाने पर तदनुसार अंक प्रदान किये जाएगे।

4क. भौतिक संसाधन– भवन निर्माण/मरम्मत, चाहरदीवारी, शौचालय,आदि कियाकलापों में यदि आवेदक शिक्षक के प्रयास से उल्लेखनीय कार्य हुआ हो तो उन्हे शिक्षक पुरस्कार हेतु 04 अंक प्रदान किये जाएगे।

4ख. शैक्षणिक संसाधन–विद्यालयों में कक्षा–कक्ष प्रकिया,सांस्कृतिक कार्यकमों के आयोजन,विभिन्न प्रकार के दिवसों को मनाने तथा छात्र छात्राओं के संज्ञान सहगामी कियाकलापों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक उपकरणें तथा सामग्री की आवश्यकता होती है। कम्प्यूटर, लाइब्रेरी (न्यूनतम 50 पुस्तकें से अधिक),खेल सामग्री, प्रोजेक्टर, पाठयसामग्री,सांस्कृतिक उपकरण उपकरण आदि सामग्री यदि सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से आवेदक शिक्षक के प्रयास से विद्यालयों को उपलब्ध हुई हो तो शिक्षक का यह प्रयास अत्ययन्त सराहनीय है और उन्हे शिक्षक प्ररस्कार हेतु 04 अंक प्रदान किये जाएगे।

5. शिक्षक द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में किये गये नवीन प्रयोग –

कुल 05 अंक

वर्तमान समय में छात्र–छात्राओं की विषयगत समस्याओं के साथ ही उनके बहु आयामी विकास की नितान्त आवश्यकता है। भाषायी,गणितीय,खेल,कला,संगीत के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन यथा प्रतिभा दिवस,छात्रों की विषयगत समस्याओं के समाधान हेतु समस्या समाधान दिवस का आयोजन,अंग्रेजी भाषा लिखने पढने तथा बोलने की दक्षता,कक्षा की तैयारी हेतु पूर्व कक्षा के संबोधों का स्पष्टीकरण तथा इस हेतु योजनाबद्ध शिक्षण,सुधारात्मक शिक्षण आदि के क्षेत्र में कार्य करने पर प्रत्येक विन्दु के लिए 01 एक अंक निर्धारित करते हुए प्रबल साक्ष्य के आधार पर 05 अंको मे से अंक प्रदान किये जाऐगे।

6. शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रकिया में ICT का उपयोग–

कुल अंक–06

वर्तमान समय सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का समय है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि छात्र/छात्राए परम्परागत कक्षा–कक्ष के स्थान पर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते है। शिक्षण अधिगम प्रकिया में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का महत्व अत्यन्त बढ गया है। वर्तमानं समय में विभिन्न प्रकार के एप्प,पोर्टल उपलब्ध है जिन पर शिक्षकों के द्वारा शिक्षण सामग्री अपलोड की जा रही है। शिक्षक द्वारा ई.कन्टेट निर्माण, प्रस्तुतीकरण हेतु विषय आधारित पावर प्वाइंट, You Tube Channel पर विषय सामग्री की तैयार कर अपलोड करना,विभागीय पोर्टल पर विषय संबंधी सामग्री अपलोड करना,एप्प द्वारा शिक्षण कार्य,दीक्षा,पी.एम. ई.विद्या संबंधी प्लेटफार्मो पर समग्री अपलोड करने ,स्वयं तथा ज्ञानदीप के माध्यम से छात्रों को लाभन्वित करना, ई. पाठशाला का उपयोग करने पर आवेदक शिक्षक द्वारा साक्ष्यों के आधार पर आवेदक को 06 अंक प्रदान किये जाएगे।

7. विगत 03 वर्षो में छात्र–छात्राओं की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं/छात्रवृति परीक्षाओं में उपलब्धिः–

अधिकतम अंक–06 (एक वर्ष हेतु 02 अंक)

विद्यालयी शिक्षा के दौरान अथवा कक्षा 10 तथा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त छात्र/छात्राए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में प्रतिभाग करते है। एन.डी.ए. ,इंजीनियरिंग,नीट,एन.टी.एस.ई. आदि की परीक्षाए इनमें प्रमुख है। साथ ही राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की छात्रबृत्ति परीक्षा आदि में प्रतिभागिता के उपरान्त यदि आवेदक शिक्षक के प्रयास द्वारा छात्रों का चयन उक्त प्रकार की परीक्षाओं में हो जाता है तो इस हेतु प्रति वर्ष 02 अंक के अनुसार शिक्षको को अधिकतम 06 अंक प्रदान किये जाएगे।

8. विगत 03 वर्षो की विद्यालय में उपस्थितिः–

अधिकतम 03 अंक

विद्यालयों मे शिक्षकों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षकों की अधिकतम् उपस्थिति का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि तथा विद्यालय वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पडता है अतः प्रति वर्ष 90 प्रतिशत उपस्थिति (विभागीय प्रशिक्षण, पुस्तक लेखन, प्रशिक्षक एवं अन्य विभागीय कार्यो के रुप में किये गये कार्य को कार्यदिवस उपस्थिति में जोडकर) प्रतिवर्ष 01 अंक की दर से अधिकतम 03 अंक पुरस्कार हेतु आवेदक शिक्षक को प्रदान किये जाएगे।

9. पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में विगत तीन वर्षो में जनपद/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिताः–

अधिकतम अंक –09

विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के पाठ्य सहगामी कियाकलापों का आयोजन होने से छात्रो के सज्ञान सहगामी पक्ष का विकास होता है। इस प्रकार के कियाकलाप छात्र/छात्राओं के भविष्य निर्माण तथा नैतिक मूल्यों के विकास हेतु भी आवश्यक होतें है। आवेदक शिक्षक के प्रयास से यदि स्काउट गाइड्स/रेडक्रास, सांस्कृतिक/साहित्यिक, NSS / NCC ,विज्ञान महोत्सव/विज्ञान प्रदर्शनी तथा अन्य गतिविधियों में विगत तीन वर्षो में छात्रों का जनपद स्तर पर प्रतिभाग हो तो प्रतिवर्ष 03 अंक,राज्य स्तरीय प्रतितभागिता पर 03 अंक तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता पर 03 अंक अधिकतम् 09 अंक प्रदान किये जाएगे।

10. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तक लेखन/प्रशिक्षण सामग्री विकास में विगत 03 वर्षो में सहभागिताः–

अधिकतम–03 अंक

पाठ्य पुस्तक लेखन,प्रशिक्षण हेतु सामग्री विकास तथा प्रशिक्षक के रूप में उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया जाता रहा है। यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा सराहनीय है। इस कार्य को प्रोत्साहन प्रदान के उद्देश्य के दृष्टिगत शिक्षकों को प्रति वर्ष 01 अंक के आधार पर अधिकतम् तीन अंक प्रदान किये जाएगे।

11.जनपदीय तथा मण्डलीय समिति द्वारा मूल्यांकन–

शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार प्रदान करने में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी से मण्डल स्तरीय विभागीय अधिकारियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जनपदीय तथा मण्डलीय समितियॉ प्रभावी ढंग आवेदक का मूल्यांकन करने के उपरान्त प्रत्येंक समिति आवेदक शिक्षक को पॉच–पॉच अंक प्रदाने करेंगी।

12.राज्य स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन–

मण्डल से चयनित शिक्षको को राज्य स्तर पर पुरस्कार के लिए प्रत्येंक बिन्दु पर अपना पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण करना होगा। तदनुसार समिति, प्रारूप पर प्रत्येक बिन्दु के अंक प्रदान करेगी और 05 अंकों में मूल्यांकन कर अंक प्रदान करेगी।

संलग्नक–1

प्रधानाचार्य द्वारा जॉच का प्रमाण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस विद्यालय मे कार्यरत श्री/श्रीमती कु0.....
....प्रवक्ता/स.अ, विषय..... के द्वारा' शैलेश मटियानी राज्य उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन किया गया है। मानको के अनुरूप इनके द्वारा किये गये आवेदन में प्रस्तुत सभी प्रमाणपत्रों तथा साक्ष्यों का मेरे द्वारा जॉच तथा सत्यापन कर दिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार इनके द्वारा विन्दुवार घोषित अंक जिन पर मेरे द्वारा जॉचोपरान्त संशोधन कर दिया गया है,तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
रा.इ.का./रा.उ.मा.वि.....
विकास खण्ड.....जनपद.....

.....

संलग्नक –2

उप शिक्षाधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जॉच का प्रमाण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कु0.....प्रवक्ता/स.अ, विषय.....
विद्यालय.....के द्वारा शैलेश मटियानी राज्य उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन किया गया है। मानको के अनुरूप इनके द्वारा किये गये आवेदन में प्रस्तुत सभी प्रमाणपत्रों तथा साक्ष्यों का मेरे द्वारा जॉच तथा सत्यापन कर दिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार इनके द्वारा बिन्दुवार घोषित अंक जिन पर मेरे द्वारा जॉचोपरान्त संशोधन कर दिया गया है,तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी
विकास खण्ड.....
जनपद.....

संलग्नक –3

जनपदीय समिति द्वारा जॉच का प्रमाण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कु0.....प्रवक्ता/स.अ, विषय..... विद्यालय.....विकास खण्ड..... के द्वारा शैलेश मटियानी राज्य उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन किया गया है। मानको के अनुरूप इनके द्वारा किये गये आवेदन में प्रस्तुत सभी प्रमाणपत्रों तथा साक्ष्यों का जनपदीय समिति द्वारा जॉच तथा सत्यापन कर दिया गया है। समिति के के अनुसार इनके द्वारा विन्दुवार घोषित अंक/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संशोधन के उपरान्त पुनः इस समिति द्वारा संशोधन कर दिया गया है।

समिति के सदस्यो के हस्ताक्षर

1 2 3

प्रतिहस्स्ताक्षरित
मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद.....
उत्तराखण्ड

संलग्नक–4

मण्डलीय/पुनरावलोकन समिति द्वारा जॉच का प्रमाण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कु0.....प्रवक्ता/स.अ, विषय..... विद्यालय.....विकास खण्ड.....जनपद ..... के द्वारा शैलेश मटियानी राज्य उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन किया गया है। मानको के अनुरूप इनके द्वारा किये गये आवेदन में प्रस्तुत सभी प्रमाणपत्रों तथा साक्ष्यों का मण्डल स्तरीय समिति/पुनरावलोकन समिति द्वारा जॉच तथा सत्यापन कर दिया गया है। समिति के अनुसार इनके द्वारा बिन्दुवार घोषित अंक/जनपद स्तरीय समिति द्वारा संशोधन के उपरान्त पुनः इस समिति द्वारा पुनरावलोकन कर दिया गया है।

समिति के सदस्यो के हस्ताक्षर

1 2 3

प्रतिहस्ताक्षरित
अपर निदेशक मा0/प्रा0
गढवाल/कुमायू मण्डल उत्तराखण्ड

प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के लिए शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र

शिक्षक/प्रधानाध्यापक का नाम–

पदनाम–

विद्यालय का नाम–

विकास खण्ड–

जनपद–

मण्डल का नाम–

पोर्टल आई0डी0–

सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि–

कुल सेवा–

सेवानिवृत्त की तिथि–

जन्मतिथि–

1– शिक्षक द्वारा पढ़ायी जाने वाली उच्चतम दो कक्षाओं के वार्षिक परीक्षाफल के आधार पर मूल्यांकन–

(कुल अंक–18 + 18 = 36)

(कक्षा–1 से 5 तक)

क्र0स0	उच्चतम कक्षा	कक्षा में वार्षिक परीक्षाफल मे सम्मिलित छात्र छात्राएं	कक्षा में उत्तीर्ण छात्र संख्या	60 प्रतिशत से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या	75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या
1					
2					

क्र0 स0	उच्चतम कक्षा	कक्षा में वार्षिक परीक्षाफल में सम्मिलित छात्र छात्राएं	कक्षा में उत्तीर्ण छात्र संख्या	छात्र उत्तीर्ण प्रतिशत × 06/100	60 प्रतिशत से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या/परीक्षा में सम्मिलित छात्र संख्या X 8	75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या/परीक्षा में सम्मिलित छात्र संख्या X 12	कुल प्राप्तांक योग–18
1							
2							

शिक्षक द्वारा पढ़ायी जाने वाली उच्चतम दो कक्षाओं (जिस विषय में नियुक्ति/पदोन्नति हुयी है के) वार्षिक परीक्षाफल के आधार पर मूल्यांकन– (कक्षा–6 से 8 तक)

(कुल अंक–18 + 18 = 36)

क्र0स0	उच्चतम कक्षा एवं विषय	कक्षा में वार्षिक परीक्षाफल में सम्मिलित छात्र छात्राएं	शिक्षक के विषय में उत्तीर्ण छात्र संख्या	60 प्रतिशत से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या	75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या
1					
2					

क्र0स0	उच्चतम कक्षा एवं विषय	कक्षा में वार्षिक परीक्षाफल में सम्मिलित छात्र छात्राएं	शिक्षक के विषय में उत्तीर्ण छात्र संख्या	शिक्षक के विषय में छात्र उत्तीर्ण प्रतिशत/100X6	60 प्रतिशत से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या/परीक्षा में सम्मिलित छात्र संख्या X 8	75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या/परीक्षा में सम्मिलित छात्र संख्या X12	कुल योग
1							
2							

2. स्वयं पोर्टल/MOOC/DIKSHA Portal आदि पर उपलब्ध विषय आधारित कोर्स पूर्ण करने पर– (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए) अधिकतम अंक 05 (प्रति कोर्स हेतु 01 अंक)

क्र.स.	कोर्स का नाम	अवधि	संस्था जहाँ से कोर्स किया	अभ्युक्ति	प्राप्तांक
1					
2					
3					
4					
5					

3. विगत 4 वर्षों में विद्यालय छात्र संख्या में वृद्धि का विवरण– (प्रति वर्ष–1 अंक) अधिकतम अंक 03

वर्ष–	तीन वर्ष पूर्व की छात्र संख्या (आधार वर्ष)	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	प्राप्तांक
छात्र संख्या					

4. समुदाय के सहयोग से विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षिणिक उन्नयन हेतु किये गये कार्यो का विवरण–

अधिकतम अंक 06

4(क)– भौतिक संसाधन अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण, भवन मरम्मत, कक्षा–कक्ष निर्माण, चाहर दीवारी निर्माण, शौचालय निर्माण, पेयजल, खेल का मैदान आदि के लिए किये गये कार्यों का विवरण– अधिकतम अंक 02

क्र0सं0	शिक्षक द्वारा विद्यालय के लिए जुटाये गये भौतिक संसाधनों/कार्यों का विवरण	लाभान्वित छात्र संख्या	प्राप्तांक

4(ख)– शैक्षणिक संसाधन जैसे कम्प्यूटर, लाइब्रेरी (न्यूनतम 50 पुस्तक), खेल सामग्री, प्रोजक्टर, सांस्कृतिक क्रियाकलाप सम्बन्धी उपकरण आदि– अधिकतम अंक (02+02) 04

क्र0सं0	शैक्षणिक संसाधनों का विवरण	शिक्षक द्वारा विद्यालय में जुटाये गये उपकरणों का नाम	लाभान्वित छात्र संख्या	प्राप्तांक
1.	कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर			
2.	लाइब्रेरी न्यूनतम 50 पुस्तक, खेल सामग्री, सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु उपकरण			

5. शिक्षक द्वारा किये गये शैक्षणिक नवाचार – अधिकतम अंक–05

शिक्षक द्वारा किये गये शैक्षणिक नवाचार का विवरण	लाभान्वित छात्र संख्या	शिक्षण अधिगम पर प्रभाव	प्राप्तांक

6. शिक्षक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया ICT का उपयोग/उपलब्धि के आधार पर मूल्यांकन –

अधिकतम अंक 08 (प्रत्येक गतिविधि हेतु 02 अंक)

क्र. सं.	गतिविधि	कक्षा	लाभान्वित छात्र संख्या	प्राप्तांक
1.	स्वनिर्मित E. Content विकास (PPT, शैक्षिक वीडियोज, शैक्षिक सामग्री आदि)			
2.	स्वयं विकसित यू–ट्यूब चैनल पर शैक्षिक विषय सामग्री की उपलब्धता			
3.	DIKSHA Portal पर शैक्षिक सामग्री का विकास एवं अपलोड			
4.	विद्यार्थियों को कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान एवं Use of E Pathsala Material			

7.शिक्षक द्वारा दुर्गम में की गई सेवा– (31 मई के अनुसार गणना) अधिकतम अंक 02

दुर्गम की सेवा का विवरण	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
10 से 15 वर्ष तक दुर्गम की सेवा	01 अंक	
15 से अधिक वर्ष की दुर्गम की सेवा	02 अंक	

8. विगत 3 वर्षों में छात्र–छात्राओं की प्रतियोगितात्मक परीक्षायें यथा जवाहर नवोदय विद्यालय/राजीव गांधी नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल/एकलव्य/स्व. सुरेन्द्र राकेश विशेष आवासीय विद्यालय/हिम ज्योति विद्यालय/इन्सपायर एवार्ड/एन0एम0एम0एस एवं अन्य राज्य, राष्ट्र स्तरीय शैक्षिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं का चयन (एक वर्ष हेतु अधिकतम अंक–3) कुल अधिकतम अंक–09

वर्ष	परीक्षा का नाम	कक्षा/चयनित छात्रों की संख्या	चयनित छात्र–छात्राओं का नाम	प्राप्तांक
प्रथम वर्ष				
द्वितीय वर्ष				
तृतीय वर्ष				

9. विगत 02 वर्षों में शिक्षक/शिक्षिका की विद्यालय में उपस्थिति (प्रतिवर्ष उपस्थिति 90 प्रतिशत) से अधिक होने पर प्रतिवर्ष हेतु 01 अंक दिया जायेगा। अधिकतम अंक– 02

कार्यदिवस	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्राप्तांक
वर्ष मे कुल कार्यदिवस			
वर्ष में विद्यालय में वास्तविक उपस्थिति (विभागीय प्रशिक्षण, पुस्तक लेखन, प्रशिक्षक तथा निर्वाचन कार्यों के रुप में किये गये कार्य को कार्यदिवस उपस्थिति में जोडा जाय।)			
शिक्षक उपस्थिति प्रतिशत			

10. पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में संकुल/ विकासखण्ड/जनपद/राज्य स्तर पर प्रतिभागिता – अधिकतम् अंक–06

क्र. सं.	क्रियाकलापों का विवरण	संकुल स्तर पर अधिकतम अंक–01	विकासखण्ड स्तर पर अधिकतम अंक–02	जनपद स्तर पर अधिकतम अंक–04	राज्य स्तर पर प्रतिभागिता अधिकतम अंक–06	प्राप्तांक
01	खेल/ स्काउट गाइड्स/रेडक्रास/ सांस्कृतिक/साहित्यिक/ सपनों की उड़ान/इंग्लिश स्पैल जीनियस, मैथ्स विजार्ड/बालिका जागरूकता कार्यक्रम/ कला प्रतियोगिता/विज्ञान प्रदर्शनी					1

11.विगत तीन वर्षों में शैक्षिक पत्र–पत्रिका/शोध पत्रों का प्रकाशन– अधिकतम अंक 03

क्र.सं.	लेख का नाम/शीर्षक	वर्ष	पत्र–पत्रिका/शोध पत्र का नाम	ISBN/ISSN	प्राप्तांक
1					
2					
3					

1

क्र0सं0 1 से 11 तक के अंकों का कुल योग–

12. जनपदीय समिति द्वारा मूल्यांकन – अधिकतम अंक–05

प्राप्तांक	

13. मण्डलीय समिति द्वारा मूल्यांकन – अधिकतम अंक–05

प्राप्तांक	

14. राज्य स्तरीय समिति द्वारा शिक्षक के प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकन– अधिकतम अंक–05

प्राप्तांक	

1

आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण एवं सत्यापन के उपरान्त विभिन्न समितियों के सत्यापन के उपरान्त प्रदत्त अंक–

क.स.	अंकना शीर्षक का नाम	उप शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण/गतिविधि के सापेक्ष प्राप्त अंको का सत्यापन	जनपदीय समिति द्वारा प्रस्तुत गतिविधि/परीक्षण के सापेक्ष अंको का सत्यापन	मण्डलीय समिति की संस्तुति
बिन्दु संख्या	शीर्षक			
1	शिक्षक द्वारा पढायी गयी उच्चतम दो कक्षाओं के वार्षिक परीक्षाफल के आधार पर मूल्यांकन।			
2	स्वयं पोर्टल/MOOC/DIKSHA/ Portal पर उपलब्ध विषय आधारित कोर्स पूर्ण करने पर।			
3	विगत 03 वर्षो में विद्यालय छात्र संख्या में वृद्वि हेतु विवरण।			
4	समुदाय के सहयोग से विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन हेतु किये गये कार्यो का विवरण।			
	* 4क. भैतिक संसाधन।			
	4ख. शैक्षणिक संसाधन।			
5	शिक्षक द्वारा किये गये शैक्षणिक नवाचार।			
6	शिक्षक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया ICT का उपयोग/ उपलब्धियां।			
7	शिक्षक द्वारा दुर्गम में की गई सेवा– (31 मई के अनुसार गणना)।			
8	विगत 3 वर्षो में छात्र–छात्राओं का प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयन।			
9	विगत 02 वर्षो में शिक्षक/शिक्षिका की विदयालय में उपस्थिति।			
10	पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में विकासखण्ड/जनपद/राज्य स्तर पर प्रतिभागिता।			
11	विगत तीन वर्षो में शैक्षिक पत्र–पत्रिका/शोध पत्रों का प्रकाशन।			
12	जनपदीय समिति द्वारा मूल्यांकन।			
13	मण्डलीय समिति द्वारा मूल्यांकन।			
14	राज्य स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन।			
कुल अंक				

संकलित अंकना– राज्य स्तरीय समिति द्वारा अंकित की जाए।

बिन्दु संख्या	शीर्षक	कुल अंक	मण्डलीय समिति के अनुसार संस्तुत अंक
1	शिक्षक द्वारा पढायी गयी उच्चतम दो कक्षाओं के वार्षिक परीक्षाफल के आधार पर मूल्यांकन।	36	
2	स्वयं पोर्टल/MOOC/DIKSHA/ Portal पर उपलब्ध विषय आधारित कोर्स पूर्ण करने पर।	05	
3	विगत 3 वर्षों में विद्यालय छात्र संख्या में वृद्धि हेतु विवरण।	03	
4	समुदाय के सहयोग से विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन हेतु किये गये कार्यो का विवरण।		
	4क. भौतिक संसाधन।	02	
	4ख. शैक्षणिक संसाधन।	04	
5	शिक्षक द्वारा किये गये शैक्षणिक नवाचार।	05	
6	शिक्षक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया ICT का उपयोग/ उपलब्धियां।	08	
7	शिक्षक द्वारा दुर्गम में की गई सेवा– (31 मई के अनुसार गणना)।	02	
8	विगत 3 वर्षों में छात्र–छात्राओं का प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयन।	09	
9	विगत 2 वर्षों में शिक्षक/शिक्षिका की विद्यालय में उपस्थिति।	02	
10	पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में विकासखण्ड/जनपद/राज्य स्तर पर प्रतिभागिता।	06	
11	विगत तीन वर्षों में शैक्षिक पत्र पत्रिका/शोध पत्रों का प्रकाशन।	03	
	योग	85	
12	जनपदीय समिति द्वारा मूल्यांकन।	05	
13	मण्डलीय समिति द्वारा मूल्यांकन।	05	
	योग	95	
14	राज्य समिति द्वारा मूल्यांकन।	05	
कुल अंक		100	

राज्यस्तरीय समिति के सदस्यों का नाम व हस्ताक्षर

1. 2. 3. 4.

अंक प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश

बिन्दु संख्या 1. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा पढ़ायी जाने वाली उच्चतम् दो कक्षाओं के वार्षिक परीक्षाफल के आधार पर मूल्यांकनः–

किसी भी प्रक्रिया में आकलन हेतु परीक्षाफल को आधार बनाया जाना वर्तमान समय की आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर (कक्षा 1 से 5) शिक्षक द्वारा पढ़ायी जाने वाली उच्चतम् दो कक्षाओं के वार्षिक गृह परीक्षाफल के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। यह मूल्यांकन प्रति कक्षा अधिकतम 18+18 कुल 36 पूर्णांक का होगा। जाँचकर्ता/समिति के सदस्य/अंक प्रदान करने वाले अधिकारी प्रभावी ढंग से प्रारूप में दिये गये सूत्र (फार्मूला) के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। इसी प्रकार पढ़ायी जाने वाली उच्चतम् दूसरी कक्षा का आकलन भी प्रारूप में दिये गये सूत्र (फार्मूला) के अनुसार किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) पर शिक्षक द्वारा पढ़ायी जाने वाली उच्चतम् दो कक्षाओं (शिक्षक के विषयानुसार) वार्षिक गृह परीक्षाफल के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। प्रति कक्षा का मूल्यांकन 18+18 कुल 36 पूर्णांक का होगा। जाँचकर्ता/समिति के सदस्य/अंक प्रदान करने वाले अधिकारी प्रभावी ढंग से प्रारूप में दिये गये सूत्र (फार्मूला) के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। इसी प्रकार पढ़ायी जाने वाली उच्चतम् दूसरी कक्षा का आंकलन भी प्रारूप में दिये गये सूत्र (फार्मूला) के अनुसार किया जायेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर परीक्षाफल मूल्यांकन सम्बन्धित समस्त अभिलेख यथा उत्तर पुस्तिका, रजिस्टर आदि को विद्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। जिन्हें स्थलीय निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

बिन्दु संख्या 02. स्वयं पोर्टल/MOOC/DIKSHA Portal आदि पर उपलब्ध विषय आधारित कोर्स पूर्ण करने परः–

प्रारम्भिक स्तर पर स्वयं, दीक्षा तथा MOOC आदि विभिन्न प्रकार के पोर्टल पर शिक्षकों के क्षमता संवर्द्धन हेतु विभिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। इस प्रकार के कोर्स का अध्ययन करने पर शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि होती है और इसका सीधा लाभ छात्रों को मिलता है। शिक्षकों को इस प्रकार के शैक्षिक कोर्स में प्रतिभाग करने को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत् शैलेश मटियानी पुरस्कार में **प्रति कोर्स 01 अंक** की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार 05 पाठ्यक्रमों को पूरा करने पर शिक्षको को **05 अंक** प्रदान किये जाऐगें। विभाग द्वार कराया गया अनिवार्य प्रशिक्षण यथा निष्ठा आदि के अंक इस हेतु नहीं जोड़े जायेंगें।

बिन्दु संख्या 03. विगत 3 वर्षो में विद्यालय की छात्र संख्या में वृद्धिः–

विद्यालयों में छात्र संख्या में वृद्धि करना वर्तमान समय की आवश्यकता है इस प्रकार के कार्य से शासकीय विद्यालयों में अध्ययन करने की सुविधा अधिक छात्रों को मिलती है। छात्रों की संख्या में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत प्रतिवर्ष 01 अंक की दर से अधिकतम 03 अंको की व्यवस्था की गई है। शिक्षक के प्रयास से छात्र संख्या में वृद्धि होने पर शिक्षक को उक्तानुसार अंक प्रदान किये जाऐगें।

बिन्दु संख्या 04. समुदाय के सहयोग से विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन हेतु किये गये कार्यः–

4(क) भौतिक संसाधन के लिए किये गये कार्य–

शिक्षक/प्रधानाध्यापक द्वारा समुदाय के सहयोग से भौतिक संसाधन अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण, भवन मरम्मत, कक्षा–कक्ष निर्माण, चाहर दीवारी निर्माण, शौचालय निर्माण, पेयजल, खेल का मैदान आदि कियाकलापों में यदि उल्लेखनीय कार्य किया गया हो तो उन्हे शिक्षक पुरस्कार हेतु **02 अंक** प्रदान किये जाएगें।

4(ख) शैक्षणिक संसाधन–

विद्यालयों में कक्षा–कक्ष प्रकिया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, विभिन्न प्रकार के दिवसों को मनाने तथा छात्र छात्राओं के संज्ञान सहगामी कियाकलापों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक उपकरणों तथा सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर लाइब्रेरी (न्यूनतम 50 पुस्तक), खेल सामग्री, सांस्कृतिक क्रियाकलाप सम्बन्धी उपकरण आदि यदि सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से आवेदक शिक्षक के प्रयास से विद्यालयों को उपलब्ध हुई हो तो शिक्षक का यह प्रयास अत्यन्त सराहनीय है और उन्हे शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन प्रारूप के अनुसार अधिकतम (02+02) 04 अंक प्रदान किये जाऐंगे।

बिन्दु संख्या 05. शिक्षक द्वारा किये गये शैक्षणिक नवाचारः–

परम्परागत शिक्षण के स्थान पर शिक्षक द्वारा नवाचारी विधा द्वारा शिक्षण कार्य करना अत्यन्त प्रभावी कियाकलाप है। इसे प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार के लिए यदि आवेदक शिक्षक के द्वारा नवाचारी शिक्षण सामग्री का विकास एवं शैक्षिक नवाचार किया गया हो तो उसे अधिकतम 05 अंक प्रदान किये जाऐगें। शिक्षक को आवेदन के साथ किये गये नवाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

बिन्दु संख्या 06. शिक्षक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया ।C T का उपयोग/उपलब्धिः–

वर्तमान समय सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का समय है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि छात्र/छात्रायें परम्परागत कक्षा–कक्ष के स्थान पर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रकिया में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का महत्व अत्यन्त बढ गया है। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के ऐप, पोर्टल आदि उपलब्ध है जिन पर शिक्षकों के द्वारा शिक्षण सामग्री अपलोड की जा रही है। शिक्षक द्वारा स्वनिर्मित E. Content विकास (PPT, शैक्षिक वीडियोज, शैक्षिक सामग्री आदि), स्वयं विकसित शैक्षिक विषय आधारित यू–ट्यूब चैनल, DIKSHA Portal पर शैक्षिक सामग्री का विकास एवम् अपलोड तथा विद्यार्थियों को कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान एवं Use of E Pathsala Material आदि का उपयोग करने पर आवेदक शिक्षक के साक्ष्यों के आधार पर प्रति कार्य 02 अंक की दर से अधिकतम 08 अंक प्रदान किये जायेंगे। भौतिक सत्यापन में उपरोक्त विकसित सामग्री/अपलोड/छात्र कम्प्यूटर ज्ञान आदि का सत्यापन किया जायेगा।

बिन्दु संख्या 07. दुर्गम क्षेत्र में की गई सेवाः–

राज्य का अधिकांश क्षेत्र दुर्गम तथा पर्वतीय है। प्रारम्भिक स्तर पर अधिकांश विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों तथा दुर्गम में स्थापित है। इस प्रकार दुर्गम क्षेत्रो मे राजकीय सेवा करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के द्वारा दुर्गम क्षेत्रों मे राजकीय सेवा को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत शैलेश मटियानी पुरस्कार प्रदान करने के लिए 02 अंक निर्धारित किये गये है। यदि शिक्षक के द्वारा 10 से 15 वर्ष की राजकीय सेवा दुर्गम क्षेत्र मे की गई हो तो उन्हे 01 अंक तथा 15 से अधिक वर्ष की सेवा पर 02 अंक प्रदान किये जाऐंगे। यह अंकना संबंधित वर्ष के शैक्षणिक सत्र पर निर्धारित की जाएगी।

बिन्दु संख्या 08. छात्र–छात्राओं का प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयनः–

प्रारम्भिक स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं यथा जवाहर नवोदय विद्यालय/राजीव गांधी नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल/एकलव्य/स्व0 सुरेन्द्र राकेश विशेष आवासीय विद्यालय/हिम ज्योति विद्यालय/इन्सापायर एवार्ड/एन0एम0एम0एस एवं अन्य राज्य/राष्ट्र स्तरीय शैक्षिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में आवेदक शिक्षक के प्रयास से छात्र–छात्राओं का चयन होने पर (एक

वर्ष हेतु अधिकतम अंक–3) कुल अधिकतम **अंक–9** निर्धारित है। साक्ष्य के आधार पर तदनुसार आवेदक शिक्षक को अंक प्रदान किये जाऐंगे।

बिन्दु संख्या 09. विगत 02 वर्षों की विद्यालय में उपस्थितिः–

विद्यालयों मे शिक्षकों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षकों की अधिकतम् उपस्थिति का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि तथा विद्यालय वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पडता है अतः प्रति वर्ष 90 प्रतिशत या इससे अधिक उपस्थिति (विभागीय प्रशिक्षण, पुस्तक लेखन, प्रशिक्षक एवं अन्य विभागीय कार्यो के रुप में किये गये कार्य को कार्यदिवस उपस्थिति में जोडकर) होने पर प्रतिवर्ष **01 अंक** की दर से अधिकतम **02 अंक** पुरस्कार हेतु आवेदक शिक्षक को प्रदान किये जाऐंगे।

बिन्दु सख्या 10. पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में विकासखण्ड/जनपद/राज्य स्तर पर प्रतिभागिताः–

विद्यालयों से लेकर राज्य स्तर तक छात्र/छात्राओ के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्येत्तर प्रतियोगात्मक क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के क्रियाकलापों से छात्र छात्राओं के संज्ञान सहगामी पक्ष का विकास होता है। शिक्षक के प्रयास से खेल/स्काउट गाइड्स/रेडक्रास/सांस्कृतिक/साहित्यिक/सपनों की उड़ान/इंग्लिस स्पैल जीनियस, मैथ्स विजार्ड/बालिका जागरूकता कार्यक्रम/कला प्रतियोगिता/विज्ञान प्रदर्शनी आदि प्रतियोगिताओं संबंधी क्रियाकलापों में प्रतिभागिता के आधार पर विकास खण्ड से राज्य स्तर पर प्रतिभागिता के लिए आवेदक शिक्षक को अधिकतम **06 अंक** प्रदान किये जाऐगें। इस हेतु संकुल स्तर पर **01 अंक**, विकास खण्ड स्तरीय प्रतिभागिता के लिए **02 अंक**, जनपद स्तर पर प्रतिभागिता के लिए **04 अंक** तथा राज्य स्तर पर प्रतिभागिता के लिए **06** अधिकतम् अंक प्रदान किये जाऐंगे।

बिन्दु संख्या 11. विगत तीन वर्षों में शैक्षिक पत्र–पत्रिका/शोध पत्रों का प्रकाशनः–

पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करना शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षकों के द्वारा कक्षा–कक्ष प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के शोध, शैक्षिक पत्र पत्रिकाओं का लेखन कार्य किया जाता है। शिक्षकों का यह कार्य अत्यन्त सराहनीय है, इसे प्रोत्साहित किये जाने हेतु शिक्षक को अधिकतम **03 अंक (प्रतिवर्ष 01 अंक)** देय होंगे। किन्तु यह अंक तभी प्रदान किये जायेंगे यदि आवेदक की पत्रिका/लेख में **ISSN/ISBN** (International Standard Serial Number/International Standard Book Number) अंकित हो।

बिन्दु संख्या 12. जनपद स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकनः–

शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार प्रदान करने में जनपदीय अधिकारियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जनपद स्तरीय समिति प्रभावी ढंग से आवेदक का मूल्यांकन करने के उपरान्त आवेदक शिक्षक को अधिकतम **05 अंक** प्रदान करेगी।

बिन्दु संख्या 13. मण्डल स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकनः–

मण्डल स्तरीय समिति प्रभावी ढंग से आवेदक का मूल्यांकन करने के उपरान्त आवेदक शिक्षक को अधिकतम **05 अंक** प्रदान करेगी।

बिन्दु संख्या 14. राज्य स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकनः–

मण्डल स्तर से चयनित शिक्षकों को राज्य स्तर पर पुरस्कार के लिए प्रत्येक बिन्दु पर अपना प्रस्तुतीकरण (पावर प्वाइंट के माध्यम से) करना होगा। तद्नुसार राज्य स्तरीय समिति प्रस्तुतीकरण के आधार पर अधिकतम **05 अंक** प्रदान करेगी।